ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. NO.- 233-236
ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-14, No.-IV, Issues-22, YEAR- Oct.-Dec.-2021

भारत में महिलाओं के प्रति अपराधः एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण

डॉ0 अर्चना सिंह
एसो0 प्रोफेसर– समाजशास्त्र विभाग, दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखपुर (उ0प्र0) भारत

Received- 02 .12. 2021, Revised- 07 .12. 2021, Accepted - 11.12.2021 E-mail: aaryavrat2013@gmail-com

सारांशः अपराध प्रत्येक समाज में, चाहे वह विकसित हो या विकासशील, सदैव से विद्यमान रहा है, जो समाज को विघटन की ओर ले जाता है और उसकी एकता तथा संगठन के लिए खतरा उत्पन्न करता है। अपराध जो अंग्रेजी के "क्राइम" शब्द का हिन्दी रुपान्तरण है, लैटिन भाषा के शब्द क्रिमैन से बना है, जिसका अर्थ होता है 'विलग होना'। इस प्रकार वह व्यवहार जो समूह के कानूनों, व्यवहार के नियमों, नैतिकता तथा सामान्य हितों से विलग अथवा पृथक होते हैं, उन्हे अपराध कहा जाता है।

कुंजीभूत शब्द– विकसित, वकालरील, समाज का विघटन, एकता, संगठन, अपराध, अपहरण, अपमान, अवहेलना।

अपराध की कानूनी परिभाषा देते हुए पाल टेप्पेन (Paul Toppon 1960 :10) ने कहा है कि "इरादतन किया गया कार्य या अपराधी कानून का उल्लंघन या अवहेलना जो बिना किसी औचित्य या बचाव के किया गया हो और राज्य द्वारा गम्भीर अपराध या साधारण अपराध के रुप में दण्ड के लिए अनुमन्य हो।

स्त्री जो समाज की आधी आबादी है वह इस अपराध की समस्या से अछूती नही है। भारत जैसे देश में जहाँ एक ओर स्त्री की पूजा की जाती है, वहीं दूसरी ओर वह हत्या, बलात्कार, अपहरण, अपमान आदि अनेक प्रकार के अपराधों की शिकार भी है। वर्तमान सामाजिक परिप्रेक्ष्य में स्त्रियों के विरुद्ध अपराध का प्रतिशत बढ़ रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW), जो महिलाओं को जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता और समान भागीदारी हासिल करने में सक्षम बनाने की दिशा में प्रयास कर रहा है, का कहना है कि "वर्ष 2021 के प्रारम्भिक आठ महीनों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की शिकायत में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 46 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अक्टूबर 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को एक 'कभी न खत्म होने वाले चक्र' के रुप में परिभाषित किया। न केवल भारत वरन् विश्व स्तर पर भी महिलाएं विविध प्रकार की हिंसा की शिकार हैं। संयुक्त राष्ट्र महिलाओं के खिलाफ हिंसा को लिंग आधारित हिंसा के रुप में परिभाषित करता है, जिसके फलस्वरुप महिलाओं को शारीरिक, यौन या मानसिक नुकसान या पीड़ा होती है जिसमें इस तरह के कृत्यों की धमकी, जबरदस्ती या मनमाने ढंग से उनको स्वतन्त्रता से वंचित (चाहे सार्वजनिक या निजी जीवन में) करना शामिल है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा एक सामाजिक, आर्थिक, विकासात्मक, कानूनी, शैक्षिक, मानव अधिकार और स्वास्थ्य (शारीरिक और मानसिक) का मुद्दा है। कोविड–19 के प्रकोप के बाद से सामने आये आये आँकड़ों और रिपोर्टो से पता चलता है कि महिलाओं एवं बालिकाओं के खिलाफ सभी प्रकार की हिंसा, विशेष रुप से घरेलू हिंसा में वृद्धि हुई है। महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को मुख्यतः दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है–

(1) भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध– इसमें 6 प्रकार के अपराध सम्मिलित हैं– (क) बलात्कार (ख) अपहरण एवं भगा ले जाना (ग) दहेज के कारण हत्या (घ) शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न (च) शारीरिक छेड़छाड़ (छ) चिढ़ाना।

(2)स्थानीय एवं विशेष विधानों के अन्तर्गत अपराध– इसमें चार प्रकार के अपराध सम्मिलित हैं– (क) अनैतिक अवैद्यपणन (ख) दहेज मांगना (ग) सती होने के लिए बाध्य करना (घ) महिलाओं का अभद्र प्रदर्शन।

महिलाओं के विरुद्ध अपराध के कारणों के सम्बन्ध में मुख्यतः तीन सैद्धान्तिक सम्प्रदाय हैं–

1. मनोविकार निदान सम्प्रदाय (जो शोषक व शोषित के व्यक्तित्व के गुणों पर प्रकाश डालता है)
2. सामाजिक मनोवैज्ञानिक सम्प्रदाय (जो व्यक्ति के दैनिक क्रियाकलापों पर बाह्य कारकों के प्रभाव पर प्रकाश डालता है) और सामाजिक, सांस्कृतिक या समाजशास्त्रीय सम्प्रदाय जो व्यक्ति पर सामाजिक संरचना एवं सामाजिक व्यवस्था के दबाव पर प्रकाश डालता है।

महिलाओं के विरुद्ध अपराध के कारण–

पितृ सत्तात्मक दृष्टिकोणः– महिलाओं की दयनीय दशा के प्रति सहनशीलता पितृसत्तात्मक मानदण्डों की ही अभिव्यक्ति है, जो समाज व परिवार में पुरुषों के वर्चस्व/प्रभुत्व का समर्थन करती है। दुबाश और दुबाश के अनुसार वह पुरुष जो महिलाओं के प्रति हिंसा का प्रयोग करते हैं, वास्तव में समाज में प्रचलित सांस्कृतिक निर्देशों जैसे– आक्रामकता, पुरुष प्रधानता और स्त्रियों की अधीनता को समर्थन देते हैं और अपने प्रभुत्व को बनाये रखने के लिए बल को साधन के रुप में प्रयोग

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-14, No.-IV, Issues-22, YEAR- Oct.-Dec.-2021

करते हैं। पितृसत्ता वह संरचनात्मक और संस्थात्मक स्थितियां उत्पन्न करती है जिनसे निवास, वंश परम्परा, सत्ता तथा सम्पत्ति अधिकार पुरुषों के विशेषाधिकार हो जाते हैं। इस प्रकार पुरुष प्रधानता स्पष्ट रुप से इस प्रकार की संरचनात्मक स्थिति का प्रतिफल है जो कि पुरुषों की शक्ति को तथा स्त्रियों की अधीनता को निश्चित करती है।

अन्तर्वैयक्तिक शक्ति दृष्टिकोण (Inter Personal Power approach)– इस विचार का केन्द्र बिन्दु समाज और परिवार में असमानता तथा शक्ति सन्तुलन है। वे लोग जो "शक्ति की समानता" में विश्वास करते हैं, घर और बाहर दोनों जगह स्त्रियों का आदर करते हैं और असमतावादी शक्ति संरचना में विश्वास करने वाले लोग उनका अपमान करते हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं।

सन्दर्भ विशेष दृष्टिकोण (Context Specific approach)– महिलाओं के शोषण की व्याख्या करने में यह विचार तीन विशेष कारकों पर केन्द्रित है, परिवार सरंचना, शोषक के गुण तथा शोषित महिला के तनाव। परिवार संरचना में न केवल सम्बन्धों का आयाम एवं भूमिकाएं बल्कि अन्तःक्रिया के तरीके भी सम्मिलित हैं। शोषक के गुणों से उन गुणों का अर्थ है जैसे कामुकता, लालच, प्रभुत्व, स्वार्थीपन आदि। शोषित के तनाव से अर्थ है शोषित का सीधापन और निष्क्रियता, जिनके कारण वह विरोध की इच्छा का दमन कर देती है। यह उसकी साधनहीनता, आर्थिक निर्भरता तथा पति व ससुराल वालों के समर्थन के अभाव का प्रतिफल है।

उपर्युक्त कारणों के अतिरिक्त कुछ अन्य कारण भी हैं जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध को जन्म देते हैं जैसे– पत्नी की आर्थिक स्वतन्त्रता और आत्मनिर्भरता जो परिवार में अहंकार के टकराव को जन्म देती है, पत्नी के प्रति अपराध का एक कारक है। पति–पत्नी के स्वभाव में विरोध, व्यक्तिगत व्यवहार में अलग–अलग प्रतिमान मनोव्याधिकी व्यक्तित्व, दुर्बल स्वास्थ्य तथा यौन सम्बन्धी असंतुष्टि, पति–पत्नी की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में अन्तर, दहेज तथा अन्य वैवाहिक कारण, संचार साधनों के माध्यम से अपराध का दर्षाया जाना, विवाहोपरान्त ससुराल पक्ष का हस्तक्षेप, बढ़ता औद्योगीकरण एवं नगरीकरण, भौतिकता और अर्थ की प्रधानता, महिलाओं के अधिकारों को व्यापक रुप से सम्बोधित करने वाले कानूनों की अपर्याप्तता और मौजूदा विधियों की अज्ञानता।

प्रायः यह देखा गया है कि अपराध की शिकार निम्न महिलाएं होती हैं:–

1. जो असहाय और अवसादग्रस्त होती हैं।
2. जिनकी आत्मछवि खराब होती हैं।
3. जो भावुक और समर्पण को तैयार रहती हैं।
4. जो यथार्थवादी विवशता की शिकार होती हैं।
5. जिनके पति या ससुराल वाले व्याधिशास्त्रीय व्यक्तित्व के होते हैं।
6. जिनके पति मद्यपान तथा इसी प्रकार की किसी बुरी लत के शिकार होते हैं।

एक नया सैद्धान्तिक मॉडल– इस प्रकार के समिष्टिवादी उपागम से महिलाओं के प्रति अपराधों या उनके शोषण को समझने के लिए एक नवीन सैद्धान्तिक मॉडल प्रस्तुत किया जा सकता है। यह मॉडल शोषित महिला के व्यक्तित्व के गुणों तथा उन सामाजिक परिस्थितियों में जिनमें वह रहती हैं या कार्य करती हैं, के बीच सहलग्नता (Linkege) पर केन्द्रित हैं। यह मॉडल इस कल्पना पर आधारित है कि महिला का शोषण महिला के व्यक्तित्व और उसकी परिस्थितियों के बीच की अन्तक्रिया का प्रतिफल है। शोषण सम्बन्धी विचार इस बात पर निर्भर करेगा कि उसकी स्वयं की साहसपूर्ण इच्छा क्या है तथा चुनौतियों का सामना करने का वह कितना प्रयत्न करती है।

अपराध की प्रकृति– महिलाओं के विरुद्ध घटित होने वाले अपराध की प्रकृति निम्नलिखित है–

- बलात्कार/सामूहिक बलात्कार तथा हत्या
- दहेज हत्या
- आत्महत्या के लिए उकसाना
- गर्भपात के लिए विवश करना
- एसिड अटैक
- पति तथा परिवार के सदस्यों द्वारा मारपीट/घरेलू हिंसा
- अपहरण
- मानव तस्करी में धकेलना
- महिला का अपमान

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-14, No.-IV, Issues-22, YEAR- Oct.-Dec.-2021

वर्ष 2019 में इन सभी मदों में कुल मिलाकर भारत में 3.43 लाख मामले दर्ज किये गये। यदि इसमें पहले से दर्ज 1.58 लाख मामले भी मिला लिए जाएं तो वर्ष 2020 के आरम्भ में लगभग 5 लाख मामले न्यायालय/पुलिस के सामने विचाराधीन है। न्यायालय ने महिलाओं के विरुद्ध अपराध के ट्रायल को प्राथमिकता पर निपटाना आरम्भ कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट ने वर्ष 2020 में 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का फैसला लिया है। इन विशेष न्यायालयों में महिलाओं के बलात्कार/हत्या तथा बच्चों के विरुद्ध अपराध जैसे गम्भीर मामलों का ट्रायल चलेगा।

05 मई 2004 को भारत सरकार के गृह मन्त्रालय द्वारा एक पत्र के द्वारा महिलाओं के प्रति अपराधों को रोकने के लिए निम्न उपाय सुझाए गये–

1. पुलिस कार्मिकों को महिलाओं के प्रति सुग्राही बनाना, महिलाओं के प्रति हिरासती हिंसा में दोषी पाए गये सरकारी कर्मचारी को तत्काल और सेल्यूटरी दण्ड देने के लिए उचित उपाय अपनाना, महिलाओं की हत्या, बलात्कार और उत्पीड़न की जाँच–पड़ताल में कम से कम समय लगाना और इसकी गुणवत्ता में सुधार करना, जिन जिलों में 'महिलाओं के प्रति अपराध प्रकोष्ठ' नही है वहाँ इसकी स्थापना करना, पीड़ित महिलाओं को पर्याप्त संख्या में परामर्श केन्द्र और आश्रय गृह प्रदान करना, विशेष महिला अदालतें स्थापित करना और पीड़ित महिलाओं के कल्याण और पुनर्वास के लिए विकसित योजनाओं की प्रभावकारिता में सुधार करना जिसमें आय अर्जित करने पर विशेष जोर दिया जाय ताकि महिलाओं को और अधिक स्वतन्त्र और आत्मनिर्भर बनाया जा सके।

– बालिकाओं की रक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विद्यालयों/महाविद्यालयों में व्यतिक्रम पर नजर रखने के लिए अपराध संभावित क्षेत्रों का पता लगाया जाना चाहिए और एक तंत्र बनाया जाना चाहिए। पुलिस अवसंरचना से पूरी तरह सज्जित पर्याप्त मात्रा में महिला पुलिस अधिकारियों की तैनाती ऐसे क्षेत्रों में की जानी चाहिए।

– महिलाओं के प्रति अपराध के सभी मामलों में प्राथमिकी दर्ज करने में किसी तरह का विलम्ब नही होना चाहिए।

– मामलों की पूरी जाँच–पड़ताल की जानी चाहिए और जाँच–पड़ताल की गुणवत्ता के साथ समझौता किये बगैर घटना घटित होने की तारीख से तीन माह के अन्दर अभियुक्तों के खिलाफ आरोप–पत्र दायर किए जाने चाहिए। बलात्कार के पीड़ित की अविलम्ब चिकित्सा जाँच की जानी चाहिए।

– महिलाओं के प्रति अपराध प्रकोष्ठों के हेल्पलाईन नम्बरों को बड़े–बड़े अंकों में अस्पतालों/विद्यालयों/महाविद्यालयों के परिसरों और अन्य उपयुक्त स्थानों पर प्रदर्शित किए जाने चाहिए।

– महिलाओं के प्रति अत्याचार से सम्बन्धित मामलों पर कार्यवाही करने वाले पुलिस कार्मिकों को विशेष कानूनों में पर्याप्त रुप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। प्रवर्तन पहलू पर पर्याप्त रुप से जोर दिया जाना चाहिए ताकि इसे सुचारु बनाया जा सके।

– राज्य पुलिस बल में व्यापक रुप से महिला पुलिस अधिकारियों की भर्ती की जानी चाहिए।

– महिलाओं के हित सम्बन्धी कार्य करने वाली पुलिस और एन0जी0ओ0 के बीच निकट समन्वय सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

– अपराध के सदमे से उबरने के लिए पीड़ितों के साथ–साथ उनके परिवार को पेषेवर परामर्शदाताओं के माध्यम से परामर्श दिये जाने की व्यवस्था होनी चाहिए।

– जो महिलाएं पीड़ित हैं, उनके कल्याण और पुर्नवास के लिए विकसित योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार किये जाने की आवश्यकता है।

संवैधानिक सुरक्षात्मक उपाय–

मौलिक अधिकार– यह सभी भारतीयों को समानता का अधिकार (अनुच्छेद–14) प्रदान करता है, लिंग के आधार पर राज्य द्वारा किसी भी प्रकार के भेदभाव से स्वतन्त्रता अनुच्छेद 15 (1) और महिलाओं के पक्ष में राज्य द्वारा किये जाने वाले विशेष प्रावधानों अनुच्छेद 15 (3) की गारंटी देता है।

मौलिक कर्तव्य– अनुच्छेद 51 (ए) के तहत महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को प्रतिबन्धित किया गया है।

निष्कर्ष– निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि मात्र कानून बना देने से अपराध को नही रोका जा सकता है। जब तक उसका कड़ाई से पालन नही कराया जाता तब तक महिलाओं के विरुद्ध अपराध होते रहेंगे। कानून के साथ समाज को भी स्त्रियों के प्रति अपने दृष्टिकोंण को बदलना होगा। स्त्री सृजन करती है और उसके बिना सृष्टि संभव नही है, यह विचार उसके प्रति सम्मान का भाव उत्पन्न करता है। परिवार में भी पुत्रों/बालकों को बाल्यावस्था से ही स्त्रियों के प्रति आदर करना सिखाना होगा। यह भाव उनके समाजीकरण की प्रक्रिया का एक आवश्यक अंग होना चाहिए। साथ ही स्त्रियों

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-14, No.-IV, Issues-22, YEAR- Oct.-Dec.-2021

में स्वयं भी आत्म सम्मान एवं स्वाभिमान के भाव को जागरुक करना होगा। कार्लमार्क्स अपने वर्ग संघर्ष के सिद्धान्त में Class पद it self और Class for itself की बात करते हैं, उस भाव को स्त्रियों में भी जगाना होगा। वह स्वयं में एक बड़ा वर्ग है किन्तु अपने अधिकारों के प्रति जागरुक नही है। सामाजिक भेदभाव के प्रति सहनशीलता उनके (स्त्रियों) प्रति अपराध का एक प्रमुख कारण है। अतः स्त्री को स्वयं को जागरुक करना होगा और अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी होगी। उसे Class in itself से Class for itself में बदलने की आवश्यकता है, तभी समस्त संवैधानिक अथवा सामाजिक स्तर पर उसके प्रति होने वाले अपराधों को रोकने के प्रयास को व्यवहारिक रुप से धरातल पर उतारा जा सकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. आहूजा राम, मुकेश आहुजा, विवेचनात्मक अपराधशास्त्र, रावत पब्लिकेशन 2015, पृ0सं0– 22
2. drishtiias.com
3. बघेल. डी0एस0य अपराधशास्त्र, विवेक प्रकाशन, जवाहर नगर, दिल्ली–7, पृ0सं0–167
4. https://www.mha.gov.in
5. Bloch, Herbert A and Geis gilbert, (2nded) man, crime and society, Random House, New york, 1970
6. Ahuja, Ram, crime against women, Rawat Publication, Jaipur, 1987
7. Chapman, jane Roberts and Gates margarel (eds), The victimization of Women, sage publica tion, Beverly Hills, 1978
8. Gelles, R.J. Intimate violence in families, sage publication, Beverly hills, 1985

*****